राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
हंस भवन, विंग–II, 1, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110002
वैबसाइट: : www.ncte-india.org

सार्वजनिक सूचना

सम्पूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के सुनियोजित एवं समन्वित विकास के उद्देश्य को पूरा करने के हेतु दिनांक 1 जुलाई, 1995 से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परषिद् अधिनियम 1993 स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधान के अनुसार राअशिप से गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त शिक्षक शिक्षा के योग्यताधारक केन्द्र सरकार, राज्य सरकार विश्वविधालय, किसी विधालय व महाविधालय अथवा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किसी अनुदानित शिक्षण संस्था में सेवायोजन हेतु अर्ह योग्यताधारक नही माने जायेंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1995 को निर्गत भारत सरकार के राजपत्र द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 44 के अनुसार दूरस्थ शिक्षा पद्धति से प्राप्त योग्यताधारक व्यक्ति केन्द्रीय सेवाओं व पदों पर सेवायोजन हेतु मान्य होंगे यदि उन्हें दूरस्थ शिक्षा परिषद्, इन्दिरा गांधी, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविधालय तथा जहाँ आवश्यक हो अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त हो।

उपर्युक्त सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि राअशिप अधिनियम के अधिदेश के अनुसार राअशिप द्वारा आमने सामने पद्धति में केवल सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की जाती है एवं मुक्त और दूरस्त शिक्षा (ODL) पद्धति में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को केवल कार्यरत/सेवारत अध्यापकों, अध्यापक प्रशिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों, शैक्षिक शोधार्थियों, पाठयचर्या और सामग्री निर्माताओं तथा शैक्षिक प्रणाली से सम्बन्धित लोगों हेतु ही मान्यता प्रदान की जाती है।

अतैव उपरोक्त वर्णित श्रेणी से आच्छादित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यार्थियों को एतद्द्वारा परामर्श दियां जाता है कि वे सम्बन्धित संस्थान अथवा विश्वविधालय की मान्यता की जांच राअशिप की वेबससाइट **http://www.ncte-india.org** से कर ले।

सदस्य सचिव

Size 12X14